(2)

(५२)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेशचन्द्र चौधरी,
सदस्य

निगरानी प्र0क्रं0 2227-तीन/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-09-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 220/अपील/04-05

1- मृतक छोटवा उर्फ अतवरिया पुत्री भरोसा अहिर, द्वारा वैध वारिसान :-
   अ- काशीराम यादव पुत्र शिवनंदन
   ब- हरविंश यादव पुत्र शिवनंदन
   स- लक्षिमिनिया यादव पुत्री श्री शिवनंदन
   द- बंशीलाल पुत्र श्री शिवनंदन
   ग्राम बगद, तहसील-चितरंगी, जिला-सीधी
2- छोटकी उर्फ लक्ष्मीदेवी पुत्री भरोसा अहिर
निवासी ग्राम भरूहा, तहसील व जिला-सिंगरौली

-----निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1- लालजी पुत्र दादू अहिर
2- बाबूलाल पुत्र दादू अहिर
3- मृतक गोपाल पुत्र गैवी अहिर द्वारा वैध वारिसान :-
   अ- सियाराम पुत्र स्व0 गोपाल अहिर
   निवासी गडेरिया, तहसील व जिला- सिंगरौली
   ब- मृतक-लालबहादुर पुत्र स्व0गोपाल अहिर द्वारा वैध वारिसान:-
   एक- श्रीमती इंद्रावती पुत्री स्व0 लालबहादुर,
   निवासी- नवानगर, तहसील व जिला सिंगरौली
   दो- श्रीमती अनीता पुत्री स्व0 लालबहादुर
   निवासी- गडेरिया भरूहा, तह0 जिला- सिंगरौली

स- मृतक जग्नारायण पुत्र स्व0गोपाल अहिर द्वारा वैध वारिसानः-

एक- श्रीदेवी बेवा जग्नारायण

दो - रूकवा पुत्री जग्नारायण

तीन - शिवचरन

चार - अशोक

पांच - दीपक सभी पुत्रगण जग्नारायण

निवासी ग्राम गडरिया, तहसील व जिला- सिंगरौली

द- मृतक भगत पुत्र स्व0 गोपाल द्वारा वैध वारिसानः-

एक - छोटी पुत्री स्व0 भगत

दो - विनोद पुत्र स्व0 भगत

निवासीगण ग्राम गडरिया, तहसील व जिला सिंगरौली

5- श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व0 गोपाल

4- मंगल पिता गैवी अहिर,

निवासी - गडेरिया भरूहा, तह0 जिला- सिंगरौली

5- मृतक राजाराम पिता गैवी अहीर द्वारा वैध वारिसानः-

श्रीमती कन्तलिया पत्नी सूजजलाल यादव

निवासी गडरिया, तहसील व जिला सिंगरौली

------- गैर निगरानीकर्तागण

श्री आर0डी0 शर्मा, अधिवक्ता - निगरानीकर्तागण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अधिवक्ता - गैर-निगराकर्तागण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 29. 6. 19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-09-06 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गडरिया की आराजी खसरा क्रं0 123, रकवा 1.60 एकड, 156/3 रकवा 0.39 एकड, रकवा 162/1 रकवा 0.50 एकड, 223/1 रकवा 0.75 एकड, 224 रकवा 0.46 ए0, 258 रकवा 0.09 ए0, 259 रकवा 0.26 ए0, 376 रकवा 0.22 ए0, 511/2मि0 5.00 ए0, 196 रकवा 1.03 ए0 योग किता 10 रकवा 10.31 एकड भूमि है जिसके पूर्व में 1/2 भाग के भूमि स्वामी भरोसा थे । भरोसा की मृत्यु हो जाने पर राजस्व निरीक्षक मण्डल अमिलिया, तहसील- सिंगरौली के द्वारा दिनांक 13-10-75 को गैरनिगरानीकर्तागण के पक्ष में वारिसाना नामांतरण आदेश पारित किया गया । जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनकर विस्तृत आदेश दिनांक 11-08-04 को पारित करते हुए अपील अस्वीकार की गई । प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की । अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 14-09-06 को पारित करते हुए अपील सारहीन होने के निरस्त की गई जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- प्रकरण में उभयपक्ष के तर्को को सुना गया । निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि मृतक भूमिस्वामी भरोसा को लावल्द फौत बताकर गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अपने पक्ष में वारिसाना नामांतरण कराया गया है जबकि मृतक भरोसा की पत्नी व उसकी दो पुत्रियां मौजूद है यदि मृतक की विधवा द्वारा पुर्नविवाह कर भी लिया है तब भी उसे तथा मृतक से पैदा हुई उसकी पुत्रियों को वारिसाना हक उत्पन्न होते है तथा वह उत्तराधिकार अधिनियम में अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस मानी जावेंगी । इस संबंध में उनके द्वारा कई न्यायिक उद्धरण भी प्रस्तुत किये गये है जो इस प्रकरण में लागू होते है । उनके द्वारा यह तर्क भी दिया कि पंजी पर किया गया नामांतरण अवैध है । विलंब के संबंध में उनका तर्क है कि वह जानकारी हो जाने पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन के साथ प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा अपर कलेक्टर द्वारा विलंब क्षमा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को गुप्तदोष पर सुनवाई मे लिया गया था किंतु उनके द्वारा गुणदोष पर प्रकरण की सही सनीक्षा नहीं की जाकर अवैधानिक आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसलिये उसे निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे ।

3- गैरनिगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि भूमिस्वामी भरोसा की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नि द्वारा दूसरी शादी करके उसके साथ रहने के लिये अन्यत्र चली गई तथा नामांतरण हो जाने के 12 वर्ष के पश्चात उसके द्वारा आपत्ति लगाई गई है जो ग्रहण योग्य नहीं है । पंजी पर विधिवत कार्यवाही उपरांत नामांतरण आदेश पारित किया गया है तथा सभी निम्न न्यायालयों के द्वारा समवर्ती **निष्कर्ष**

निकाले गये है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण नहीं होने से अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर यह निगरानी निरस्त की जावे ।

4- मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया तथा इसके संदर्भ में रिकार्ड का परिशीलन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी भरोसा को लावल्द फौत माना जाकर उसकी भूमि पर विचारण न्यायालय द्वारा वारिसाना नामांतरण आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लिखित किया है कि ग्राम पंचायत गडेरिया के द्वारा जारी सजरा दिनांक 22-10-01 में भरोसा को लावल्द फौत दर्शाया गया है एवं ग्राम पंचायत दादर के द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 29-09-01 में आवेदिका मृतक गोलरी यादव को स्व0 गोल्हू यादव की पत्नी बताया गया है इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चितरंगी के द्वारा जारी परिवार कार्ड में भी गोलरी को गोल्हू यादव की पत्नि उल्लिखित किया गया है, इसके विपरीत दो पंचों के द्वारा जारी सजरा में भरोसा के तीन वारिस पत्नि गोलरी, छोटवा उर्फ एतबरिया तथा छोटकी उर्फ लक्षिमिनिया पुत्रियां बताया गया है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न पंचायतों द्वारा अलग-अलग विवरण दर्शाये गये है इसलिये यह प्रमाणित नहीं है कि निगरानीकर्तागण ही मूल भूमिस्वामी भरोसा के वारिसान है, यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध भी नहीं हुआ है । वर्तमान में भरोसा की पत्नि गोलरी का निधन हो जाने से इस निगरानी प्रकरण से उनका नाम विलोपित हो चुका है एवं उसकी तथाकथित पुत्री छोटकी भी फौत हो गई है । यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालयों को विवादित वारिसानों का निर्धारण करने एवं उसकी घोषणा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसके लिये व्यवहार न्यायालय सक्षम न्यायालय है जहां आवेदक वारिसाना हक एवं स्वत्व घोषणा के संबंध में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र

है । उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विस्तृत विवेचना एवं परीक्षण करने के उपरांत तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के द्वारा जो समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है विश्वसनीय प्रतीत होते है, इसलिये उनके द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतएव अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14-09-06 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । फलस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(महेशचन्द्र चौधरी)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर